

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

अग्नि शमन यन्त्रो के रिफलींग हेतु कोटेशन हैतु आवश्यक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर में संस्थित विभिन्न प्रकार के अग्नि शमन यन्त्रों का रिफलींग कराया जाना है। जिसके लिए पंजीकृत फर्मों से दिनांक 31.05.2019 के अपराह्न 04.00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर में कोटेशन आमन्त्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1—डी०सी०पी.— 10 किग्रा०— दर प्रति अदद।
- 2—डी०सी०पी०— 05 किग्रा०— दर प्रति अदद।
- 3—ए०बी०सी०— 05 किग्रा०— दर प्रति अदद।
- 4—सी०ओ०—२— 4.5 किग्रा०— दर प्रति अदद।

प्राप्त कोटेशन कर्य समिति, जनपद न्यायालय, गाजीपुर के समक्ष दिनांक 01.06.2019 को खोला जायेगा तथा सबसे न्यूनतम दर का कोटेशन स्वीकार किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


देयको का भुगतान नियमानुसार आयकर एवं अन्य राजकीय कठौतियों के उपरान्त ही किया जायेगा।

1— प्रतिलिपि नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सूचना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चर्चा किया जाये।


- 1— नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 2— नोटिस बोर्ड पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 3— नोटिस बोर्ड सूचना विभाग, गाजीपुर।
- 4— नोटिस बोर्ड तहसील सदर, गाजीपुर।
- 5— नोटिस बोर्ड विकास भवन, गाजीपुर।
- 6— नोटिस बोर्ड जिला परिषद, गाजीपुर।
- 7— नोटिस बोर्ड केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
- 8— नोटिस बोर्ड, नजारत वाहय न्यायालय मु़ोबाद, गाजीपुर।
- 9—नोटिस बोर्ड, नजारत वाहय न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।

दिनांक—25/05/2019,


(गुलाब सिंह—॥)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०—३/

प्रभारी अधिकारी, नजारत,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।


C.M.
25.5.19